प्रकरण सं. 40/2022 रान्नू उनवान खेमराज

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज 212 RTA	नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/5/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ~~अपने~~ अधिवक्ता आदि उप-। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या सी. 51/2022 उनवान रान्नू उर्फ राजकुमार बनाम खेमराज अन्तर्गत धारा 53, 54, 89, 188 को वादी द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का विक्रय पत्र दिनांक 15/9/2015 से अंतरण कर दिये जाने एवं भूमि अंतरित किये जाने से राजस्व कार्यवाही अधिनियम की धारा 63 (III) में खातेदारी अधिकार निर्वाचित कर दिये जाने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद खारिज हो जाने से वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्व कार्यवाही अधिनियम में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्व कार्यवाही अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली कौशल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 1/5/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	